

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 10.02.2014 को "विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर" के अभियंताओं के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

उपरिस्थिति :- यथा पंजी।

समीक्षा के दौरान विद्युत अभियंताओं का अपने कर्तव्य के प्रति अरुचि, इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि बारम्बार निदेश के बावजूद विद्युत अभियंताओं द्वारा कम-से-कम 10 बड़े बकायेदारों के विरुद्ध सन्निहित राशि की वसूली हेतु विधिवत् कार्रवाई नहीं की जा रही है। निदेश दिया गया कि प्राथमिकता आधारित साप्ताहिक कार्य योजना तैयार कर पूर्व निर्गत कार्यवाही में प्रदत्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

वरीय उपसमाहर्ता प्रभारी, जिला विकास शाखा, मुंगेर को निदेश दिया गया कि प्रखंड कार्यालयों के बकाये विद्युत विपत्र के विरुद्ध विभाग द्वारा प्राप्त आवंटन की निकासी कर अधीक्षण अभियंता, विद्युत अंचल, मुंगेर को उपलब्ध कराएँ। तदालोक विद्युत अधीक्षण अभियंता नियमित रूप से सभी प्रखंडों का माहवार विद्युत विपत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएँगे।

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में उल्लिखित समाचार के अनुसार बड़ी केशोपुर, जमालपुर में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापन हेतु जनाक्रोश किए जाने की सूचना पर सहायक अभियंता, विद्युत अवर प्रमंडल, जमालपुर को निदेश दिया गया कि यदि बड़ी केशोपुर में अधिष्ठापित ट्रांसफॉर्मर से सम्बद्ध लगभग 75% उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिल जमा किया जा रहा है तो विभागीय निदेशानुसार अत्यधिक लोड के दृष्टिगत अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर संस्थापित कराने की कार्रवाई की जाए।

लखीसराय जिलान्तर्गत अभयपुर क्षेत्र, जहाँ विद्युत आपूर्ति जमालपुर फीडर से की जाती है, में दिनांक 16.02.2014 तक विद्युत बिल की वसूली एवं नए विद्युत सम्बन्धन हेतु शिविर आयोजित कर विद्युत संबंधी समस्याओं का निराकरण करने का निदेश सहायक विद्युत अभियंता को दिया गया।

तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षा बैठक में प्रदत्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए विद्युत अभियंताओं को निम्नलिखित निदेश दिए गए :-

1. **राजस्व संग्रहण** :- विभाग द्वारा लक्षित 7.50 करोड़ रु० के वसूली की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि दिनांक फरवरी माह में दिनांक 09.02.2014 तक लगभग 27.68 लाख रु० की वसूली हुई है, जिसकी अवर प्रमंडलवार विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	विद्युत अवर प्रमंडल	मासिक लक्ष्य (रु० करोड़ में)	राजस्व संग्रहण (रु० लाख में)
1	मुंगेर सदर	3.51	13.04
2	जमालपुर	2.78	9.45
3	तारापुर	0.48	2.99
4	खड़गपुर	0.34	2.20
कुल		7.11	27.68

2. इस तरह प्रति अवर प्रमंडल का साप्ताहिक रूप से राजस्व संग्रह की गणना करने पर यह स्पष्ट होता है कि राजस्व संग्रहण की प्रगति अपेक्षाकृत काफी कम है। इस हेतु निदेश दिया गया कि मासिक लक्ष्य को साप्ताहिक लक्ष्य में विभाजित करते हुए राजस्व संग्रहण में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित किया जाए।

3. दिनांक 28-29.11.2013 एवं दिनांक 20.12.2013 को शहरी क्षेत्र में नए विद्युत सम्बन्ध स्थापित करने हेतु आयोजित विशेष शिविर में प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध दिनांक 09.02.2014 तक निष्पादित आवेदनों की विवरणी निम्न प्रकार है :-

विद्युत अवर प्रमंडल	प्राप्त आवेदनों की सं०			निष्पादित आवेदनों की सं०	रद्द आवेदनों की सं०	प्रतिशत
	28-29.11.13	20.12.13	कुल			
मुंगेर	552	245	797	657	0	82.43%
जमालपुर	413	196	609	602	0	98.85%
तारापुर	450	118	568	566	2	100.0%
खड़गपुर	173	142	315	315	0	100.0%
कुल	1588	701	2289	2140	2	93.49%

सभी कनीय विद्युत अभियंताओं को निदेश दिया गया कि पूर्व आयोजित विशेष शिविरों के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन दो सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से कर लिया जाए।

नये विद्युत सम्बन्धन हेतु पूर्व निर्णित निर्णय, यथा- दिनांक 18.02.2014 को अवर प्रमंडल, सदर, जमालपुर, तारापुर खड़गपुर के अतिरिक्त असरगंज एवं टेटियाबंबर प्रखंड में शिविर आयोजित किए जाएँ, का वृहत रूप से स्थानीय व्यवस्था के तहत लाउडस्पीकर एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाए।

4. विभागीय निदेशानुसार पूर्णरूपेण DTwise Coding एवं DTwise tagging होने के उपरान्त विद्युत अभियंताओं को निदेश दिया गया कि आगामी माह से शहरी क्षेत्रान्तर्गत DTwise बिलिंग करते हुए अद्यतन मांग एवं वसूली के साथ जिले के Unit Consume एवं Recovery संबंधी संक्षिप्त विवरणी साप्ताहिक रूप से तैयार कर बैठक में उपलब्ध कराएँगे।
5. विभागीय निदेश के आलोक में सभी सहायक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि प्रत्येक वृहत्स्पतिवार को अपने अवर प्रमंडल मुख्यालय में उपस्थित रहकर बिजली बिल से संबंधित आवेदनों की त्रुटि का निराकरण/सुधार करेंगे। इसका प्रचार-प्रसार किया जाना नितान्त आवश्यक है।
6. राजस्व संग्रहण में अपेक्षित बढ़ोतरी सुनिश्चितता हेतु LTIS उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग का शत-प्रतिशत भौतिक रूप से सत्यापन कनीय विद्युत अभियंता अपने पर्यवेक्षण में कराते हुए पंजी में नियमित मीटर रीडिंग की प्रविष्टि कराने का निदेश पूर्व सम्पन्न बैठकों में दिया गया था, जिसका पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं किया जाना चिंताजनक है। इस हेतु सहायक विद्युत अभियंता/कार्यपालक अभियंता को शहरी क्षेत्र में पूर्णतः MMC को बंद करने के लिए प्रतिदिन कम-से-कम 10% पंजी में संधारित रीडिंग की समीक्षा करने का निदेश भी दिया गया था। पुनश्च निदेश दिया गया कि उपरोक्त वर्णित निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. पूर्व प्रदत्त निदेशानुसार विद्युत अभियंता मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र देंगे कि- “हमारे यहाँ जितने भी LTIS उपभोक्ता हैं, सभी का वास्तविक भौतिक रीडिंग किया जा चुका है एवं MMC शून्य है।”
8. विभागीय निदेशानुसार शहरी क्षेत्र, वाणिज्य उपभोक्ताओं (LTIS-1) तथा बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं (LTIS-2) की शत-प्रतिशत मीटर रीडिंग करना सर्वोच्च प्राथमिक कार्य है, जिसका नियमित अनुश्रवण का निदेश पूर्व सम्पन्न बैठकों में संबंधित विद्युत अभियंताओं को दिए जाने के बाजवूद कार्य की प्रगति धीमी है, जो चिंताजनक एवं कार्य अक्षमता को प्रदर्शित करता है। अतएव मीटर रीडिंग एजेन्सी एवं कार्यरत् कर्मियों के कार्यों की समीक्षा नियमित रूप से करते हुए मीटर रीडिंग की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी के साथ शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।
9. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत धरहरा, असरगंज, बरियारपुर, टेटियाबंबर एवं संग्रामपुर प्रखंड मुख्यालय में कार्यरत् काउण्टर के माध्यम से दिनांक 09.02.14 तक वसूली गई विद्युत बिल के राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	प्रखंड का नाम	जनवरी, 14 तक	फरवरी, 14 में (09.02.14 तक)
1	धरहरा	4,98,000/-	0/-
2	बरियारपुर	6,47,000/-	2000/-
3	टेटियाबंबर	35,000/-	0/-
4	असरगंज	44,156/-	0/-
5	संग्रामपुर	23,009/-	0/-
	कुल राशि	12,47,165/-	2000/-

(Handwritten signature)

10. Meter Reading :- समीक्षा के क्रम में पूर्व की प्रगति यथावत् बनी हुई है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्न है :-

विद्युत अवर प्रमंडल	कुल उपभोक्ताओं की सं०	मीटरीकृत उपभोक्ताओं की सं०	प्राप्त मीटर रीडिंग की सं० (जनवरी माह)	प्राप्त मीटर रीडिंग की सं० (फरवरी माह में)
मुंगेर सदर	26290	24270	17589	2120
जमालपुर	26860	21563	9712	0
तारापुर	11903	8123	1750	261
खड़गपुर	9311	8071	2900	185
कुल	74364	62027	21951	2566

11. वरीय उपसमाहर्ता, विद्युत को निदेश दिया गया कि साप्ताहिक बैठक में मीटर रीडिंग के प्रगति एवं अन्य विद्युत संबंधी कार्यों की क्षमता के अनुसार सहायक/कनीय विद्युत अभियंताओं की रैंकिंग करते हुए सर्वाधिक worst performer विद्युत अभियंता के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ गठित कर विभाग को भेजने की कार्रवाई करें।
12. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिले में कार्यान्वित मीटर रीडिंग एजेन्सी में कार्यरत कर्मियों की संख्या यथावत् है, जो निम्न है :-

Sl. No.	Block	Meter Reading Agency	working employee
1	Munger	6	30
2	Jamalpur	6	24
3	Tarapur	3	12
4	Kharagpur	1	10
Total		16	76

13. 10,000/- रुपये से उपर कुल 15421 विद्युत विपत्र बकायेदार उपभोक्ताओं की अवर प्रमंडलवार विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय	कुल बकायेदारों की संख्या	बकाया राशि भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं की सं०	अवशेष बकायेदारों की सं०	विद्युत विच्छेदित उपभोक्ताओं की सं०	प्रतिशत
1	मुंगेर सदर	5604	1781	3823	681	17.81%
2	जमालपुर	4302	1736	2566	1468	57.21%
3	तारापुर	3646	1253	2393	751	31.38%
4	खड़गपुर	1869	586	1283	831	64.77%
कुल		15421	5356	10065	3731	37.06%

समीक्षा के क्रम में कार्य० अभि० द्वारा अवगत कराया गया कि बकायेदार 5356 उपभोक्ताओं द्वारा सन्निहित राशि जमा कराई गई है। अतएव उनके द्वारा पुनः अभ्यावेदन समर्पण के उपरान्त नया विद्युत कनेक्शन देने की कार्रवाई की जाएगी। निदेश दिया गया कि अवशेष बकायेदारों के विभागीय निदेशानुसार विद्युत सम्बन्ध विच्छेदन की कार्रवाई में तीव्रता लाएँ।

14. निर्णय लिया गया कि चेंकिंग के दौरान संज्ञान में आए गलत तरीके से बिजली चलाने वाले उपभोक्ताओं तथा विद्युत से संबंधित नीलाम पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली हेतु विधिसम्मत कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को समय-समय पर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अनुरोध किया जाए।
15. पूर्व सम्पन्न बैठक में प्रदत्त निदेश के अनुपालन की समीक्षा के दौरान सहायक विद्युत अभियंताओं द्वारा दिए गए आश्वासन, कि विद्युत अवर प्रमंडल, सदर अन्तर्गत-25 वाद, जमालपुर-10, तारापुर-15 एवं खड़गपुर-09 नीलाम पत्र वाद विद्युत सेवा विच्छेद किए गए उपभोक्ताओं के विरुद्ध दायर करेंगे, की स्थिति यथावत् है। इस संबंध में पुनः निदेश दिया गया कि उपरोक्त आश्वासन

के अनुरूप नीलाम पत्र वाद दायर कर सन्निहित राशि की वसूली एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें।

16. **Reconducturing**:- समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि रि-कंडक्टिंग कार्य में प्रगति काफी कम हो रही है। स्पष्ट है कि कुल 619 कि०मी० में से अबतक कुल 412.19KM एवं दिनांक 02.02.2014 तक 16.7KM Reconducturing का कार्य किया गया है। विद्युत अनुमंडल कार्यालयवार संक्षिप्त विवरणी निम्न प्रकार है :-


क्र०	विद्युत अवर प्रमंडल	लक्ष्य (कि०मी०)	फरवरी में (कि०मी०)	09.02.14 तक (कि०मी०)	कुल Reconducturing	प्रतिशत
1	मुंगेर	60	61.20	8.3	69.50	111.50%
2	जमालपुर	237	143.36	6.0	149.36	63.02%
3	तारापुर	190	136.02	4.2	140.22	73.80%
4	खड़गपुर	132	70.71	5.5	76.21	57.73%
कुल		619	412.19	24.0	435.29	70.32%

विभागीय निदेशानुसार प्रति माह कम-से-कम 25 कि०मी० Reconducturing के लक्ष्य को अर्जित करना है। इस हेतु कार्य० अभि० को निदेश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप Reconducturing कार्य सुनिश्चित करने हेतु हरसंभव प्रयास किए जाएँ।

17. कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि विद्युत बिल से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु जिला जनता दरबार से भेजे गए आवेदनों का निष्पादन नियमित रूप से करते हुए प्रगति प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

18. शहरी क्षेत्रों, यथा- मुंगेर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर में 100% मीटर रीडिंग एवं नए कनेक्शन दिए जाएँ। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं होगा।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।



जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....329...../गो०, दिनांक.....11/02/2014

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, विद्युत/कार्य०अभि० विद्युत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्य०अभि०, विद्युत आपूर्ति, अंचल, मुंगेर इसकी प्रति अपने स्तर से सभी संबंधितों को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग, मुंगेर/प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता, विद्युत/जिला विकास शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....329...../गो०, दिनांक.....11/02/2014

प्रतिलिपि : अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लि०, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रबंधन निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।